Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 46/ 2019 **दायर तारीख :– 19-06-2019**

1. ओमप्रकाश पुत्र साधूराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी बिलवाड़ी तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0) —— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0) —— अप्रार्थी

1. गट्टाराम } पुत्रान प्रभात
2. प्रकाशचन्द }
3. दिनेश पुत्र रूघनाथ उर्फ रूघाराम
4. केशरी देवी पत्नि सरदारा
5. गिरधारी }
6. सुरेश } पुत्रान सरदारा
7. शिवदान }
8. सोहन पुत्र गोपी
9. बिरधी देवी पत्नि साधूराम
10. मालीराम पुत्र साधूराम
11. गीता देवी उर्फ हंसा देवी पुत्री रूघनाथ उर्फ रूघाराम
12. छिब्बो पुत्री सरदारा
13. प्रभाती देवी पत्नि रूघनाथ उर्फ रूघाराम
14. बया देवी पुत्री साधुराम
15. भंवरी देवी पुत्री सरदारा
16. रमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र रूघनाथ उर्फ रूघाराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी बिलवाडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0 ——तरतीबी अप्रार्थीगण

बाबत रकबा बराबरी अन्तर्गत 136 भू–प्रबन्ध अधिनियम

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :–10.09.2020

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम बीलवाडी के खाता संख्या 27 के हाल खसरा नम्बर 1512 रकबा 2.24 हैक्टेयर एवं 1513 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 है। यह है कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी वाके के साबिक खसरा नंबर 622 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा व 623 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा से बनाया है, जिसकी खातेदारी प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के पूर्वज गोपी वल्द देवा कौम गुर्जर के नाम से रही है। यह है कि भूप्रबन्ध राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियो ने वक्त भूप्रबन्ध प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज साबिक खसरा संख्या 622 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा तथा 623 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा से वर्तमान मिट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करते हुए हाल खसरा नंबर 1512 रकबा 2.24 हैक्टेयर एवं 1513 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 हैक्टेयर कायम किए गए जो साबिक रिकॉर्ड के मुकाबले 1.1150 हैक्टेयर कम दर्ज की गई तथा प्रार्थी एव तरतीबी अप्रार्थीगण की उक्त कम की गई भूमि को नजदीक स्थित सिवायचक सरकारी भूमि मे दर्ज कर दी गई, जबकि इस प्रकार से मनमाने रूप से किए गए इन्द्राज को दुरूस्त करवाये जाने का प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण अधिकारी है। यह है कि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की भूमि में साबिक दर्ज भूमि के मुकाबले हाल दर्ज कम भूमि की पूर्ति पास ही स्थित सिवायचक भूमि से करवाये जाने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि ग्राम बीलवाडी पटवार हल्का बीलवाडी में स्थित साबिक खसरा संख्या 622 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा तथा 623 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा से वर्तमान मिट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करते हुए हाल खसरा नंबर 1512 रकबा 2.24 हैक्टेयर एवं 1513 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 हैक्टेयर कायम किए गए जो कि साबिक रिकॉर्ड के मुकाबले 1. 1150 हैक्टेयर कम दर्ज की गई को साबिक दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार समीप स्थित सिवायचक भूमि से रकबा बराबरी करने के आदेश प्रदान करते हुए, राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किए जाने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम बीलवाडी खाता संख्या 264 संवत् 2076–2079, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम बीलवाडी, नकल जमाबंदी खतौनी ग्राम बीलवाडी संवत् 2068–2071, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बीलवाडी,, नकल आंशिक नकल नक्शा फोटो प्रति ग्राम बीलवाडी खसरा नंबर 622 व 623 आदि पेश किये गये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाकै ग्राम बीलवाडी के हाल खसरा नम्बर 1512 रकबा 2.24 हैक्टेयर एवं 1513 रकबा 0.17 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.41 हैक्टेयर की खातेदारी में प्रार्थी के नाम हिस्सा 77/600 दर्ज रिकार्ड है। यह है कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के साबिक खसरा नंबर 622 व 623 है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि साबिक खसरा नंबरों से जो हाल खसरा नंबर बनाए गए उनमें रकबे में 1.1150 हैक्टेयर भूमि कम दर्ज की है। एवं जो भूमि कम दर्ज हुई वह भूमि नजदीक स्थित सिवायचक भूमि में दर्ज की है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में ऐसा कोई भी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि साबिक खसरा संख्या 622 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा तथा 623 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा था एवं साबिक खसरा नंबर से हाल खसरा नंबर बनाते समय जो रकबा कम दर्ज हुआ, वह पास में स्थित सिवायचक भूमि में दर्ज कर दिया गया। तथा पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी अपना तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड भूमि के हाल खसरा नंबरान के रकबे में साबिक रकबे के मुकाबले कम आई भूमि सिवायचक खाते में दर्ज हो गई है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, जवाब सरकार के विवेचन पश्चात प्रार्थी के हाल खसरा नंबरान के रकबे में साबिक खसरा नंबरो के रकबे की तुलना में जो भूमि कम दर्ज हुई है वह भूमि पास में स्थित सिवायचक भूमि में दर्ज होना साबित नहीं होता है अर्थात प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.09.2020 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर